"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 205] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मई 2013—ज्येष्ठ 1, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2013

क्रमांक 4248/डी. 134/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 01-05-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 19 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 34 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 34 की उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) एक समन्वय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलाधिपति;
(दो) मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन;
(तीन) भारसाधक मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित;
(चार) भारसाधक मंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित;
(पांच) भारसाधक मंत्री, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से संबंधित;
(छः) भारसाधक मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित;
(सात) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन;
(आठ) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के कुलपति;
(नौ) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के कुलाधिसचिव;
(दस) प्रमुख सचिव/सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;
(ग्यारह) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;
(बारह) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;
(तेरह) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्रमुख सचिव/सचिव;
(चौदह) राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण."

रायपुर, दिनांक 22 मई 2013

क्रमांक 4248/डी. 134/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 19 of 2013)

THE CHHATTISGARH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013

An Act further to amend the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-Fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 34.

2. For sub-section (1) of Section 34 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) the following shall be substituted, namely :—

"(1) There shall be a Co-ordination Committee consisting of the following persons, namely :—

(i) Kuladhipati;

(ii) Chief Minister, Government of Chhattisgarh;

(iii) Minister-In-Charge, related to Higher Education Department;

(iv) Minister-In-Charge, related to Technical Education Department;

(v) Minister-In-Charge, related to Agriculture Education and Research Department;

(vi) Minister-In-Charge, related to Medical Education Department;

(vii) Chief Secretary, Government of Chhattisgarh;

(viii) The Kulpatis of the Universities Specified in the Second Schedule;

(ix) The Rectors of the Universities specified in the Second Schedule;

(x) Principal Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs Department;

(xi) Principal Secretary/Secretary Government of Chhattisgarh, Finance Department.

(xii) Principal Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Higher Education Department;

(xiii) Principal Secretary/Secretary, to Governor of Chhattisgarh;

(xiv) The Kulpatis of the Universities constituted under any Act of the State Legislature."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.